न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 10/2009
प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) सीपीसी
(अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए)

--निर्णय--

दिनांक : 09/03/2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपर्युक्त अनवान का वाद पत्र, प्रार्थी /वादी द्वारा अपनी विभिन्न चकों में स्थित मुश्तर्का पारिवारिक पैतृक भूमि के विभाजन बाबत प्रस्तुत किया गया था, जो वर्तमान में वास्ते साक्ष्यवादी निश्चित है तथा वादपत्र में वर्णित खातों में से पूर्व में वादी के पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत एंव डिक्रीकृत वाद में विभाजन स्वीकार किया गया था, वस्तुतः उसी विभाजन की डिक्री में न्यायालय द्वारा वादी/प्रार्थी के पूर्वजों को दी गई भूमि ही वादी एंव प्रतिवादीगण के पास कब्जाधीन चली आ रही है। वादी एंव प्रतिवादीगण के पास कब्जाधीन चली आ रही है। वादी/प्रार्थी के पूर्वजों के उपरान्त अब उनके उतरजीवियों के रूप में उक्त भूमि वादी एंव दीगर वारिसान प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुकी है और इस प्रकार से विभाजन में वादी परिवार को प्राप्त भूमि का ही पुनः वादी के समकालिक हिस्सेदारों को प्राप्त भूमि का विभाजन करवाये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उक्त पूर्व वर्ति विभाजन आदेश की पालना नहीं होने से इसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं हो पाया। इसका प्रभाव यह हुआ कि पक्षकार संयोजन में एक संदिग्धता उत्पन्न हो गई। यह एक प्रारूपिक त्रुटि है, जिसके कारण वाद के विफल होने की सम्भावना उत्पन्न हो चुकी है। इस हेतु मौजुदा वाद इसी स्तर पर ही नया वाद प्रस्तुत कर पाने की स्वीकृति के साथ वापिस लेना चाहता है। इस हेतु अनुमति दिया जाना एवं न्याय संगत है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल वादी/प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। अप्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसके अनुसार यह कथन अस्वीकार है कि विभाजन की डिक्री का अमल दरामद न होने से कोई प्रारूपिक त्रुटि वाद पत्र पेश होने में हो गई हो और वाद विफल होने की कोई संभावना पैदा हो गई है। यह कथन कतई गलत है कि प्रारूपिक त्रुटि को ठीक करवाकर पुनः केवल अपने पारिवारिक भूमि का विभाजन पुनः पेश करना चाहता हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादीगण गुरनिन्द्र सिंह सुखदीप कौर, गुरमीत सिंह, इन्द्रजीत कौर, परमवीर सिंह, हरजीत कौर आदि नया दावा पेश करे तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं होगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (वादी) के द्वारा अपने बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया एवं अप्रार्थी (प्रतिवादी) अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी (वादी) एंव उसके पारिवारिक सदस्य आपस में बंटवारा करना चाहे तो कर सकते है।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की विस्तारपूर्वक सुनी गई। उस पर मनन किया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी (वादी) ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत वादपत्र प्रार्थी/वादी द्वारा अपनी विभिन्न चकों में मुश्तर्का पारिवारिक पैतृक [illegible] जो कि वर्तमान में साक्ष्यवादी के प्रक्रम पर है। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने निवेदन किया कि वा[illegible]तों में से पूर्व में वादी के पूर्वजों द्वारा प्रस्तुत एंव डिक्रीकृत वाद में विभाजन [illegible] की डिक्री में न्यायालय द्वारा वादी/प्रार्थी के पूर्वजों को दी गई भूमि [illegible] चली आ रही है। वादी/प्रार्थी के पूर्वजों के उपरांत अब उनके उतरजीवियों [illegible] उक्त भूमि वादी एंव दीगर वारिसान प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुकी है और इस प्रकार से विभाजन में वादी परिवार को प्राप्त भूमि का [illegible]नः वादी के समकालिक हिस्सेदारों को प्राप्त भूमि का विभाजन करवाये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उक्त पूर्व वर्ति विभाजन आदेश की पालना नहीं होने से इसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद नहीं हो पाया। इसका प्रभाव यह हुआ कि पक्षकार संयोजन में एक संदिग्धता उत्पन्न हो गई। यह एक प्रारूपिक त्रुटि है। जिसके कारण वाद के विफल होने की सम्भावना उत्पन्न हो चुकी है। अतः वादी/प्रार्थी उक्त प्रारूपिक त्रुटि को ठीक करवाकर पुनः केवल अपने पारिवारिक भूमि के ही विभाजन हेतु पुनः वाद प्रस्तुत करना चाहता है। अतः मौजूदा वाद इसी स्तर पर वापिस लेकर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अप्रार्थी/प्रतिवादी

09/03/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:46 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गुरनिन्द्र सिंह, प्रतिवादीगण सुखदीप कौर, गुरमीत सिंह, इन्द्रजीत कौर, परमवीर सिंह, हरजीत कौर आदि नया दावा पेश करे तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं होगा। वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1(3) मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने आदेश 23 नियम 1 (3) का अध्ययन किया। अतः प्रस्तुत वादपत्र के संबंध में हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी/वादी के हस्तगत वादपत्र को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा प्रदान करना हम उचित एंव विधिसंगत समझते है। साथ ही प्रार्थी/वादी को यह अनुमति प्रदान की जाती है कि वह अपनी प्रारूपिक त्रुटि को सुधार कर नया वाद हाजा न्यायालय में संस्थित करने हेतु स्वंतत्र है।

-:आदेश:-

उपर्युक्त विवेचन एंव तथ्यों के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1(3) सीपीसी भलीभांति बखूबी साबित होने एंव सारवान होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/वादी को प्रारूपिक त्रुटि सुधार कर नया वाद हाजा न्यायालय में पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश आज दिनांक....09/03/21.......को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

09/03/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2025.09.03 11:51:46 IST
Reason: SelfAttested